पत्रांक– SPMU/12/2019-Part-II-

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विनायक मिश्र भा०प्र०से०
नोडल पदाधिकारी,
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना।

पटना, दिनांकः–..........................

विषय :– दो वर्षीय आई० टी० आई० डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक – 4491, दिनांक – 04.11.2025

महाशय

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्यालय पत्रांक – 340, दिनांक 09.10.2025 के द्वारा दो वर्षीय आई० टी० आई० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों कैपिंग राशि के अनुसार मान्य विवरणी के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए दिशा–निदेश दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के पूर्व में स्वीकृत एवं भुगतान किए गए आवेदनों के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गयी है, जिसके संबंध में मार्गदर्शन इस प्रकार है :–

I. ट्यूशन फीस कुल ₹ 52,000/– स्वीकृति की जाएगी, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में भुगतान की अनुपात 50–50 अथवा 60–40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
II. पूर्व में ट्यूशन फीस की प्रथम किस्त की राशि का कंडिका (i) के अनुसार अधिक भुगतान किया गया है, तो वैसी स्थिति में द्वितीय किस्त में इसका समायोजन किया जाएगा।
III. दो वर्षीय आई० टी० आई० डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हॉस्टल के स्थान पर City Category A, B, & C के अनुसार Living Expenses देय होगा (यदि पूर्व में किसी संस्थान में हॉस्टल की राशि का भुगतान किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में Living Expenses के गणना के अनुसार राशि देय होगा तथा प्रथम वर्ष में अधिक राशि के भुगतान की स्थिति में द्वितीय वर्ष समायोजन किया जाएगा)।

अतः आप से अनुरोध है कि दो वर्षीय आई० टी० आई० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से संबंधित आवेदनों का उपरोक्त वर्णित दिशा–निदेशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाई करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

ह०/–
(विनायक मिश्र)
नोडल पदाधिकारी,
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।

557
R. S (All Letter)

Email- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-22300

ज्ञापांक :– SPMU/12/2019-Part-II-402 पटना, दिनांक– 02/12/25

प्रतिलिपि :–

1. परियोजना प्रबंधक, TPVA Zone-I, II & III को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सहायक प्रबंधक/प्रबंधक, (DRCC एवं BSEFCL) सभी जिलें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सभी जिलें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी,
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।

Email- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-22300